केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितंबर, 2025

एफ़ नं.आरए–14031(11)/1/2020–सीईआरसी.– केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी), विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 80 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और दिनांक 23 मार्च, 2016 की अधिसूचना सं.:5/6/2016–आरईजी.एएफएफ./सीएसी(20)/सीईआरसी द्वारा गठित केन्द्रीय सलाहकार समिति का अधिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सलाहकार समिति (सीएसी) का निर्माण निम्नानुसार करता है:–

1 भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की); एसोचैम भारतीय उद्योग महापरिसंघ (सीआईआई) – रोटेशन द्वारा
2 सीएमडी, पीटीसी इंडिया लिमिटेड सीएमडी, एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड – रोटेशन द्वारा
3 सीएमडी, भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज लिमिटेड (आईईएक्स); सीईओ, पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड (पीएक्सआईएल); एमडी, हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज लिमिटेड (एचपीएक्स) – रोटेशन द्वारा
4 सीएमडी, भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई)
5 सीईओ, भारतीय राष्ट्रीय सौर ऊर्जा महासंघ (एनएसईएफआई)
6 डीजी, विद्युत उत्पादक संघ (एपीपी)
7 अध्यक्ष, भारतीय पवन ऊर्जा संघ
8 डीजी, विद्युत ऊर्जा पारेषण संघ (ईपीटीए)
9 डीजी, अखिल भारतीय विद्युत वितरण निगम संघ (एआईडीए)
10 सीएमडी, एनएचपीसी लिमिटेड
11 सीएमडी, एनटीपीसी लिमिटेड
12 सीएमडी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
13 एमडी, असम विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
14 सीएमडी, तमिलनाडु उत्पादन एवं वितरण निगम लिमिटेड
15 श्री प्रवीर सिन्हा, सीईओ एवं एमडी, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड
16 श्री अनिल सरदाना, एमडी, अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड
17 सीएमडी, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
18 एमडी, गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड
19 सदस्य (ट्रैक्शन और रोलिंग स्टॉक), रेलवे बोर्ड
20 डीजी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर)
21 अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद्; अध्यक्ष, केरल उच्च दाब एवं अति उच्च दाब औद्योगिक विद्युत उपभोक्ता संघ; उपभोक्ता प्रतिनिधि, एचपीएसईबीएल के उपभोक्ता – रोटेशन द्वारा
22 उपभोक्ता एकता और विश्वास सोसायटी (सीयूटीएस); प्रयास, पुणे; रोटेशन द्वारा
23 प्रो. अजय पांडे, (वित्त एवं लेखा) – आईआईएम, अहमदाबाद
24 डॉ. अनूप सिंह, ऊर्जा विनियमन केंद्र (सीईआर), प्रोफेसर– भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर
25 डॉ. रंगन बनर्जी, निदेशक, आईआईटी दिल्ली
26 डीजी, सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति केंद्र (सीएसईपी); डीजी, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नीति अध्ययन केंद्र (सीएसटीईपी): रोटेशन द्वारा
27 श्री राकेश नाथ, पूर्व सदस्य, एपीटीईएल
28 मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्र), श्रम मंत्रालय

2. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा (3) के उपबंधों के अनुसार सीईआरसी के अध्यक्ष, सीएसी के पदेन अध्यक्ष होंगे और सीईआरसी के सदस्य और उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित केन्द्रीय सरकार के विभाग के प्रभारी भारत सरकार के सचिव, सीएसी के पदेन सदस्य होंगे।

3. यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से प्रभावी होगी।

हरप्रीत सिंह प्रुथी,
सचिव

हरप्रीत सिंह प्रुथी
सचिव
केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार
6वां-8वां तल, टॉवर-बी, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर,
नौरोजी नगर, नई दिल्ली-110029